न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 18/2025

पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1.लेखराज पुत्र नेमीचन्द, जाति सोनी
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री रामजीवन विश्नोई**

निर्णय

दिनांक :– 13/2/25

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा धनाऊ, पटवार क्षेत्र धनाऊ, तहसील धनाऊ में खसरा सं. 1084/721 रकबा 00.0911 हैक्टयर का आया हुआ है।

वर्तमान चालू तरमीम अंकित लट्ठे में प्रार्थी के खसरा सं. 1084/721 की तरमीम सही है। परन्तु हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा सग्रीगेशन/कम्प्यूटराईज करते समय प्रार्थी के खसरे का रूप बदलकर चौहटन से धनाऊ जाने वाली डामर सड़क की तरमीम को खुर्द बुर्द कर सड़क मार्ग को बन्द करते हुए प्रार्थी के खसरे की गलत तरमीम कर दी।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार धनाऊ द्वारा अपनी रिपोर्ट में परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। बहस पर मनन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा धनाऊ, पटवार क्षेत्र धनाऊ, तहसील धनाऊ में खसरा सं. 1084/721 रकबा 00.0911 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट (अ)

ग्राम- घनाडु व तहसील घनाडु

अशुद्ध

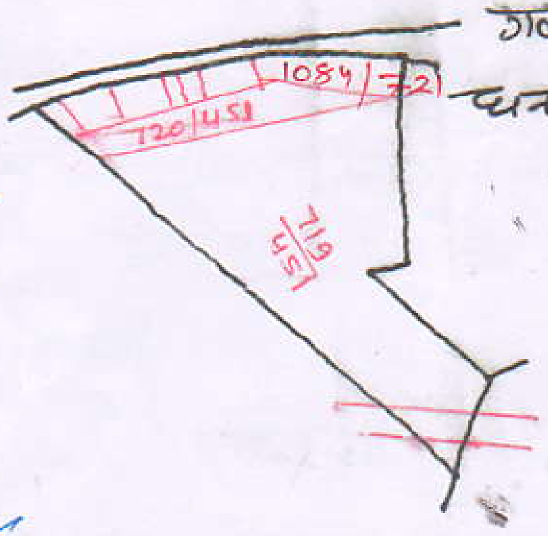

Ex-Cant

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

परिशिष्ट (ब)

शुद्ध

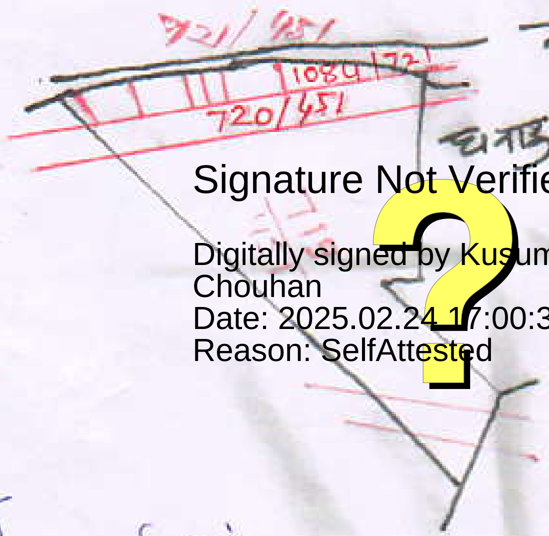

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested

लोखराम

आदुराम

धर्मसिंह